आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आनलाइन शिक्षार्थी लाइसेंस निर्गमन व्यवस्था हेतु आवेदन प्रक्रिया

- आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आनलाइन शिक्षार्थी लाइसेंस निर्गमन व्यवस्था में आवेदनकर्ता को **कार्यालय आने की कोई आवश्यकता नहीं होगी**, अर्थात यह व्यवस्था **पूर्णतया एण्ड टू एण्ड आनलाइन एवं फेसलेस माध्यम से प्रदान की जाएगी।**
- आवेदनकर्ता को उक्त व्यवस्था का लाभ उठाने हेतु सारथी पोर्टल (https://sarathi.parivahan.gov.in) पर शिक्षार्थी लाइसेंस हेतु आवेदन करते समय **Submit via Aadhaar Authentication** का विकल्प चयन करना होगा।
- उक्त विकल्प का चयन करने तथा अपना आधार नम्बर दर्ज करने तथा उसके सफल आधार प्रमाणीकरण के पश्चात आधार कार्ड पर संरक्षित आवेदनकर्ता का नाम, पिता/माता का नाम, आवेदनकर्ता का पता, फोटो तथा जन्मतिथि स्वतः फेच होकर आवेदनकर्ता के आवेदन फार्म पर अंकित हो जाएगी।
- आवेदनकर्ता को आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अनिवार्य रूप से आवेदन फार्म में वह वही मोबाइल नंबर अंकित करे जो उसके आधार कार्ड पर दर्ज हो।
- आवेदनकर्ता को सफलतापूर्वक आवेदन फार्म भरने, आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति अपलोड करने तथा नियमानुसार फीस के आनलाइन भुगतान के पश्चात सारथी पोर्टल पर ही सड़क सुरक्षा का ट्यूटोरियल (Tutorial) आनलाइन रूप से पूरा करना होगा।
- उक्त व्यवस्था में आवेदनकर्ता को आवेदनकर्ता को अप्वाइंटमेन्ट बुक करने की कोई आवश्यकता नही होगी अर्थात आवेदनकर्ता को अप्वाइंटमेन्ट बुक करने की बाध्यता से Exempt किया गया है।
- आवेदनकर्ता के आवेदन की कार्यालय स्तर पर फेसलेस स्क्रूटनी/जांच First In First Out (FIFO) के सिद्धांत पर की जाएगी, जिसमें **आवेदनकर्ता को कार्यालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।**
- कार्यालय द्वारा स्क्रूटनी के समय आवेदन के सही पाये जाने पर आवेदनकर्ता को उसके आवेदन फार्म पर दर्ज मोबाइल नंबर पर शिक्षार्थी लाइसेंस के आनलाइन टेस्ट हेतु पासवर्ड/ओ0टी0पी0 प्रेषित किया जाएगा।
- आवेदनकर्ता द्वारा सफलतापूर्वक सड़क सुरक्षा का ट्यूटोरियल (Tutorial) पूरा करने के पश्चात तथा उसके मोबाइल नंबर पर प्रेषित पासवर्ड/ओ0टी0पी0 के माध्यम से वह घर बैठे ही अथवा किसी जनसुविधा केन्द्र (Facilitation Centre) की मदद से सारथी पोर्टल पर शिक्षार्थी लाइसेंस का आनलाइन टेस्ट दे सकता है।
- आनलाइन टेस्ट के समय सारथी पोर्टल पर आवेदनकर्ता का फेस ऑथेन्टिकेशन (Face Authentication) किया जाएगा, अतः आवेदनकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उसी कंप्यूटर/लैपटाप पर परीक्षा दे रहा हो, जो वेबकैमरा युक्त हो।
- फेस ऑथेन्टिकेशन के समय आवेदनकर्ता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसके बैठने के स्थान का बैकग्राउण्ड सादा (Plain) हो, बैठने के स्थान पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो तथा आवेदनकर्ता के आसपास अन्य कोई व्यक्ति मौजूद न हो।
- फेस ऑथेन्टिकेशन (Face Authentication) के दौरान आवेदनकर्ता की लाइव फोटो का मिलान उसके आवेदन पत्र में संरक्षित फोटो से किया जाएगा तथा सफलतापूर्वक फेस ऑथेन्टिकेशन के पश्चात ही आवेदनकर्ता का आनलाइन टेस्ट प्रारंभ हो सकेगा।

- फेस आथन्टिकेशन हेतु आवेदनकर्ता को प्रथम चरण में तीन अवसर दिये जायेंगे। तीन अवसरों के पश्चात भी यदि आवेदनकर्ता का फेस ऑथेन्टिकेशन असफल रहता है तो आवेदनकर्ता को सारथी पोर्टल पर अपनी नवीनतम (Recent) फोटोग्राफ अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।
- आवेदनकर्ता द्वारा अपनी नवीनतम फोटोग्राफ अपलोड करने के पश्चात आवेदन पुनः फेसलेस स्क्रूटनी हेतु कार्यालय स्तर पर प्रदर्शित होगा तथा कार्यालय द्वारा सफलतापूर्वक स्क्रूटनी करने के पश्चात आवेदनकर्ता को पुनः फेस ऑथन्टिकेशन कराना होगा। इस कार्य हेतु भी **आवेदक को कार्यालय आने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।**
- फेस ऑथन्टिकेशन हेतु द्वितीय चरण में भी आवेदनकर्ता को तीन अवसर दिये जायेंगे। यदि तीन अवसरों के पश्चात भी आवेदनकर्ता फेस ऑथन्टिकेशन में असफल होता है तो उसे बिना आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आने वाले शिक्षार्थी लाइसेंस आवेदकों के तरह ही अप्वाइंटमेंट बुक कराकर कार्यालय में उपस्थित होना होगा।
- सफलतापूर्वक फेस ऑथेन्टिकेशन के पश्चात ही आवेदनकर्ता का आनलाइन टेस्ट प्रारंभ हो सकेगा। **शिक्षार्थी लाइसेंस टेस्ट हेतु भी आवेदनकर्ता को कार्यालय आने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।**
- आवेदनकर्ता द्वारा आनलाइन शिक्षार्थी लाइसेंस टेस्ट में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के पश्चात तथा संबंधित लाइसेंसिग प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन किये जाने के पश्चात आवेदनकर्ता को अपना शिक्षार्थी लाइसेंस डाउनलोड करने हेतु उसके आवेदन फार्म पर दर्ज मोबाइल नंबर पर ही लिंक प्रेषित किया जाएगा, जिसके द्वारा वह घर बैठे ही अपने शिक्षार्थी लाइसेंस को डाउनलोड/प्रिंट कर सकता है। अतः **शिक्षार्थी लाइसेंस का प्रिंट प्राप्त करने हेतु भी आवेदनकर्ता को कार्यालय आने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।**